THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (PROF. SHER SINGH): (a) No.

(b) Does not arise

पिछड़े हुये आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों के विकस के लिये सहायता

4641. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछडे राज्यो के आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिये केन्द्रीय सड़क विकास फंड से पर्याप्त धनराशि नहीं दी जा रही है, और

(ख) क्या किसी राज्य ने ऐसी मांग की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख). सभावतया माननीय सदस्य केन्द्रीय सडक निधि मे सहायता का उल्लेख कर रहे है । इसके दो उप–प्रभाग है, अर्थात (i) केन्द्रीय सड़क निधि (नियतन) तथा (ii) केन्द्रीय सडक निधि (साधारण) आरक्षण । निधि को प्रोदभूत राशि का 80 प्रतिशत केन्द्रीय सड़क निधि (नियतन) लेखे में जमा कर दिया जाता और शेष 20 प्रतिशत केन्द्रीय सडक निधि (साधारण) आरक्षण मे जमा कर दिया जाता है । केन्द्रीय सडक निधि (नियतन) लेखे मे प्रत्येक राज्य का शेयर सबधित राज्य मे कर शुदा स्पिरिट (पट्रोल) की वास्तविक खपत के आधार पर निकाला जाता है और परियोजनाए केन्द्रीय सड़क निधि (नियतन) लेखे मे सबधित राज्य सरकार के पास उपलब्ध मुक्त शेष के आधार पर मंजूर की जाती है । केन्द्रीय सड़क निधि (साधारण) आरक्षण से भी बराबरी से आधार पर कुछ एक चुनी हुई योजनाओं के लिये अनुदान सहायता के रूप में सीमित धनराशि दी जाती है । इन दो स्त्रोतों से वित्त पोषित की जाने वाली अन्तिम रूप से अनुमोदित योजनाएं किसी भी हालत में राज्य सरकारों द्वारा स्वयं बनाई जाती है । पहल करना इसलिये मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का मामला है कि वे पिछडे एवं जन जाती क्षेत्रो को भी ध्यान में रखते हुये अपनी अपनी आवश्यकताओ की योजना बनाएं । जब कभी राज्य सरकारो से ऐसे क्षेत्रो मे सड़को के लिये आवेदन प्राप्त होते हैं, तो संबधित राज्य सरकारो के जमा खाते में केन्द्रीय सड़क निधि मे मुक्त शेष की उपलब्धता के अनुरूप, उन पर पूरा ध्यान दिया जाता है ।

Fish trade with Bangladesh

4642. SHRI SHYAM SUNDER MOHAPATRA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state the position of fish trade with Bangladesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): Import of fish is being made from Bangladesh in terms of a Limited Payment Agreement entered into by the Government of India with the Government of Bangladesh for a period of one year with effect from 27th March, 1972. The target of import was fixed at Rs 9 crores worth of fish during the period of the agreement. As several matters relating to the trade had to be sorted out between the two Governments, the actual import of fish could not start before the first week of October, 1972. A quantity of 99 tonnes was imported in October, 1972 through the Central Fisheries Corporation. The level of import continued to be low in November and December, 1972. Joint Review meetings with the Government of Bangladesh were held in October, 1972 and January, 1973 for the purpose of identifying bottlenecks and stepping up the level of trade. The quantum of import in January and February, 1973 rose to 265 tonnes and 330 tonnes, respectively.

The total quantity of fish imported up to the end of February, 1973 was 840 tonnes valued at a little over Rs. 50 lakhs. An official delegation visited Bangladesh in the first week of March, 1973 to make a detailed study with a view to effecting further improvement in the level of trade. From about the middle of the month there has been a marked increase in the level of supplies.

पशु-पालन योजना

4643. **श्री नाथू राम अहिरवार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पशपालन को अधिक लोकप्रिय और सरल बनाने के लिये मत्रालय का कौन कौन से कारगर उपाय करने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार द्वारा पशुपालन योजना के लिये केवल जनसख्या को आधार न मानकर उस क्षेत्र के लोगो की योजना को सफल बनाने की रूचि पर भी ध्यान दिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) चौथी पचवर्षीय योजना मे पशुपालन, डेरी उद्योग तथा दुग्ध पूर्ति के लिए सरकारी क्षेत्र मे लगभग 233 करोड रुपये की भारी रकम की व्यवस्था की गई है। इसमे विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से शुरु किये हुए 'आप्रेशन फलड" नामक दुग्ध विपणन तथा डेरी विकास के समेकित कार्यक्रम के लिए 95 40 करोड रुपये की बडी व्यवस्था की गई है । विभिन्न पशुपालन योजनाओ में उन्नत प्रजन, पोषण, विपणन, रोग नियत्रण तथा किसानो को तकनीकी सलाह आदि अनिवार्य आदानो की व्यवस्था है । विभिन्न परियोजनाओ में कृषको को प्रशिक्षण देना भी शामिल है । देश के कृषि विश्वविद्यालय और पशु चिकित्सा महाविद्यालय भी अपने शिक्षण तथा प्रदर्शन कार्यक्रमो के माध्यम से पशु-पालन को लोकप्रिय बना रहे है ।

(ख) जी हा, किसी पशुधन विकास योजना की उपयुक्ता का निर्णय करने के लिये उस क्षेत्र के व्यक्तियो की अभिरुचि के अतिरिक्त अन्य अनेक बातो को ध्यान मे रखा जाता है ।

रबी की फसल के लिये गेहूं का निर्धारित मूल्य और उसका औचित्य

4644. **श्री नाथू राम अहिरवार :**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या कृषि मत्री यह बताने की कृपा करेग कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अगली रबी की फसल के लिये गहू का मूल्य निर्धारित किया है ;

(ख) गेहू का यह मूल्य कृषि के उपयोग मे आने वाले उपकरणो (डीजल पम्प, लोहा, ट्रैक्टर तथा रसायनिक खाद) के मूल्यो मे अत्यधिक वृद्धि के अनुपात मे कहा तक उचित है ;

(ग) क्या अनाज व्यापार के सरकारीकरण के पश्चात् अब गेहू का मूल्य सर्पोट मूल्य न होकर निर्धारित मूल्य ही हो गया है ; और

(घ) क्या खाद्यान्नो के व्यापार के सरकारीकरण के पश्चात् किसान को कभी भी इस निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य मिलने की आशा नही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): (क) जी हा ।

(ख) सरकार ने सभी सगत तथ्यो को ध्यान मे रखकर कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशो के आधार पर गेहू का अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित किया है ।

(ग) और (घ) गेहू का थोक व्यापार लेने के फलस्वरूप, किसान खुदरा व्यापारियों और उपभोक्ताओ से अपनी पेदावार के लिये अधिप्राप्ति मूल्य मे अपेक्षाकृत अधिक मूल्य प्राप्त करने की आशा कर सकते है ।